न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 62/2018

RCMS Case No. 2018/00086

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. सुशीला शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा निवासी बी. – 91 वीर दुर्गादास नगर, पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक – 12/06/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खौड तहसील रानी के खसरा नम्बर 957/3 रकबा 10 बीघा की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के रूप में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज मोहनलाल पुत्र बालुराम कौम सुथार निवासी खौड को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 640 के आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पश्चात आवंटी द्वारा उक्त भूमि को अप्रार्थी को बेचान किया जा चुका है। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम खौड के नामान्तरकरण संख्या 640 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम खौड तहसील रानी के खसरा नम्बर 957/3 रकबा 10 बीघा की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 957 कि किस्म गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 640 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है तथा कालान्तर में आवंटी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अप्रार्थी को बेचान किया गया है, जिसक आधार पर अप्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 957 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/ वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा मोहनलाल पुत्र बालुराम कौम सुथार निवासी खौड के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश क्रमांक/301 दिनांक 31.07.1975 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम बूसी तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 640 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली